संख्या- 07/2018/2851/33-2-2018-252जी/17

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
2- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 02 अगस्त, 2018

विषय- प्रदेश की जिला पंचायतों में काजी हाउसों के रख-रखाव एवं संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश में पशु अतिचार अधिनियम, 1871 में उल्लिखित प्राविधानानुसार कांजी हाउसों का संचालन किये जाने की व्यवस्था है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में छुट्टा/आवारा पशुओं से कृषकों का नुकसान से बचाने, इससे होने वाली दुर्घटनाएँ रोकने तथा पशुओं की सुरक्षा हेतु कांजी हाउसों के संचालन की महती आवश्यकता है।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की जिला पंचायतों में पूर्व में संचालित काजी हाउस, जो वर्तमान में जर्जर स्थिति में है, उन्हें जिला पंचायतों द्वारा अपने संशाधनों से तत्काल ठीक कराया जाय, और जिला पंचायतों में संचालित कांजी हाउस में चरही, शैड, भूसा हेतु स्थान आदि तथा पशुओं के लिए चारा/भूसा एवं पीने हेतु पानी की व्यवस्था की जाय। इस पर आने वाला व्यय जिला निधि एवं राज्य वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार निर्धारित 05 प्रतिशत सीमा तक व्यय किया जाय। पशुओं के बीमार होने की स्थिति में स्थानीय पशु चिकित्साधिकारी से इलाज आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय। कांजी हाउस में पौण्ड कीपर एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था थी, परन्तु वर्ष 1997 में शासनादेश संख्या-1754/33-2-97-4जी/97, दिनांक 09-6-1997 द्वारा उक्त कार्मिकों की सेवायें मृत कैडर घोषित कर दी गयी। कांजी हाउस के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार कार्मिकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से अथवा अनुबन्ध के आधार पर रखा जाय तथा इस पर होने वाला व्यय जिला निधि से अथवा अर्थदण्ड से प्राप्त होने वाली धनराशि से व्यय किया जाय।

कांजी हाउस के लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार अधिकतम 5000 स्क्वायर फीट का स्थान रखा जाय जिसमें 150 स्क्वायर फीट प्रति पशु के लिए स्थान अनिवार्य रूप से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपलब्ध हो सकें। कांजी हाउसों में पशुओं को रखे जाने की स्थिति में उन पर देय जुर्माना एवं खुराकी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र0	पशुओं के नाम	अर्थदण्ड की धनराशि (रू0)	खुराकी रू0 में (प्रति दिन)
1	हाथी	2000/-	200/-
2	ऊँट	2000/-	200/-
3	सॉड, बैल, गाय, बछडा, घोडी, भैंस, बछेडी, बछिया, पडिया, पडवा कोई अन्य पशु टटटू और घोड़ा	1000/-	100/-
4	गधा व खच्चर	1000/-	100/-
5	गाय का बछड़ा या बछिया या पडवा, जो एक वर्ष तक का हो	500/-	50/-
6	बकरा, बकरी, बकरी का बच्चा, भेड, भेडी एवं मेमना भेडा/भेडी	500/-	50/-
7	सुअर एवं उसका बच्चा	500/-	50/-

उक्त कांजी हाउसों के संचालन/रख-रखाव पर आने वाले व्यय जिला पंचायतें अपने संसाधनों से वहन करेगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से कड़ाई पूर्वक सुनिश्चित किया जाय, इसके लिए सम्बन्धित जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तरदायी होगे।

भवदीय,

जितेन्द्र बहादुर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या : 07/2018/2851(1)/33-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- पशुधन अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बृज नन्दन लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in